शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

कश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय रूप में विश्लेषण

प्राप्तिः 26.05.2023
स्वीकृतः 24.06.2023

32

प्रो० (डॉ०) अनीता सिंह
इतिहास विभाग
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतम बुद्धनगर

नेहा शर्मा
शोधार्थी
इतिहास विभाग,
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बादलपुर, गौतम बुद्धनगर

सारांश

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विश्व के अधिकतर देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शान्ति से सभी मसलों को हल करने में अपनी अहम् भूमिका निभाता रहा है। कश्मीर समस्या और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का जहां तक सम्बन्ध है 1947 से 1999 तक बड़े ही गहराई से विश्लेषण किया है और यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि कश्मीर समस्या शुरु कैसे हुई और इसको किस तरह से दो राष्ट्रों से अलग कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कि विश्व में शान्ति के प्रतीक के रूप में अहम् माना गया है, इसको देखते हुए जब जवाहर लाल नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सुलझाने के लिए रखा तो यह लगता था कि जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे का निपटारा कर देगा और कश्मीर रियासत सम्बन्धी जो अड़चन भारत के समक्ष आई उसका जल्दी ही समाधान हो जायेगा। लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सका।

मुख्य बिन्दु

संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, सुरक्षा परिषद्, जनतम संग्रह, भारत–पाक युद्ध।

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शान्ति से सभी मसलों को हल करने में अपनी अहम् भूमिका निभाता रहा है। पाकिस्तान ने जब कश्मीर के काफी आन्तरिक भागों पर अपना कब्जा कर लिया था तो महाराजा हरिसिंह ने भारत में विलय का अधिमिलन पत्र भारत के समक्ष भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना कश्मीर से नहीं हटाई। तब भी भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू इस मसले को शान्तिपूर्वक तरीके से हल करवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ भारत के आखिरी वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, भी स्वयं यह नहीं चाहते थे, कि यह समस्या किसी प्रकार हल हो सके। इसलिए उन्होंने एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका निभाते हुए कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ले जाने के लिए जवाहर लाल

नेहरू को प्रेरित किया। इस प्रकार कुछ समय उपरान्त जवाहर लाल नेहरू ने इस मसले की स्थिति को देखते हुए इसे 1 जनवरी, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रख दिया।[1]

पहले भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि वी0 पी0 पिल्ले ने पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार अचानक कश्मीर रियासत पर आक्रमण करने से यह स्थिति और भी गंभीर विकट रूप धारण कर सकती है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ से निवेदन है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को भंग होने से बचाए रखने के लिए वह पाकिस्तान पर तत्काल कार्यवाही करे ताकि शान्ति बनी रहे।[2] भारत ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि वह पाकिस्तान सरकार को कड़े निर्देश दे कि वह अपने सैनिकों व नागरिकों को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण में भाग लेने या सहयोग करने से रोके, साथ ही हमलावरों द्वारा कश्मीर के खिलाफ हमला करने के लिए अपनी भूमि के इस्तेमाल को भी रोक ले। इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की गई शिकायत को 6 जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद् की विचारणीय सूची में शामिल कर लिया गया।[3]

सुरक्षा परिषद् द्वारा 15 जनवरी, 1948 को बैठक का दिन निर्धारित कर दिया गया। कश्मीर पर सयुंक्त राष्ट्र संघ में मुख्य बहस के लिए भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर राज्य के पूर्व प्रधानमन्त्री एन0 गोपालस्वामी आंयगर को प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया व उनके साथ भारत के अटार्नी जनरल एस0 सी0 सीतलवाड़ और कश्मीर में आपात प्रशासन के प्रमुख शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी उनके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ कमीशन के समक्ष भेजा गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जफरुल्ला खाँ इस बैठक में भेजे गए। भारत की तरफ से गोपाल स्वामी आयगंर ने सर्वप्रथम विलय के सवाल पर भारत की कश्मीर के प्रति विलय की नीति का प्रतिपादन करते हुए कहा कि भारत सरकार का हमेशा से ही विलय के प्रश्न पर यह विचार रहा है, कि विलय के विवादित मामलों पर सर्वप्रथम राज्य की जनता ही अपना फैसला सुनिश्चित करेगी तभी कोई निर्णय लिया जायेगा।[4]

15 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिशद की बैठक में शेख अब्दुल्ला ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि यह मुद्दा कोई विवादात्मक स्थिति में नहीं हैं तथा न ही कोई जनमत संग्रह करवाना चाहिए, क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 में ब्रिटिश सरकार ने पहले ही देशी रियासतों को विलय के लिए स्वयं निर्णय लेने की स्वतन्त्रता दे दी थी कि वह अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान किसी भी एक संघ में शामिल कर सकती थी। अन्तिम रूप से उस रियासत के शासक का निर्णय ही सर्वमान्य था। सुरक्षा परिषद ने भारत का पक्ष जानने के उपरान्त पाकिस्तान राष्ट्र से अपना पक्ष रखने को कहा तो इसके फलस्वरूप दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मन्त्री जफरुल्ला खाँ ने भारत द्वारा कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमला करने बारे जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार कश्मीर रियासत पर जबरदस्ती अपना अधिकार करना चाहती थी।

पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने यह भी कहा कि कश्मीर की जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग मुस्लिम है तथा विलय से पहले ही कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीरी जनता की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ 'यथास्थिति समझौता' भी किया था और कश्मीर रियासत के बारे में एक अन्य बात यह भी मुख्य है कि इस राज्य का भू–भाग वर्तमान शासक के परदादा गुलाब सिंह ने 1846 में 75 लाख रुपये देकर ब्रिटिश शासन से खरीदा था तब से लेकर आज तक (1947) हिन्दू शासक

वहाँ की मुस्लिम जनता पर अत्याचार करते रहे हैं। अतः अब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को भारत व पाकिस्तान के रूप में आजाद कर दिया तो इस स्थिति में कश्मीर रियासत की जनता ने भी स्वतन्त्र होने का प्रयास किया। अतः भारत जिस हमले को पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला बता रहा है वह वहाँ की जनता ने हिन्दू शासक से अपनी रक्षा तथा अधिकार के अस्तित्व के लिए किया था। आयोग से साथ ही यह भी मांग की कि जम्मू कश्मीर में निश्पक्ष और स्वतन्त्र प्रशासन की बहाली की जाए ताकि वहां जनता की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन भी किया जा सके।[5]

इस तरह सुरक्षा परिषद ने 20 जनवरी, 1948 तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूर्ण करने के पश्चात् एक प्रस्ताव पारित किया, और यह निर्णय लिया गया कि कश्मीर रियासत के बारे में दोनों पक्षों की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग गठित किया जाएगा। साथ ही, भारत और पाकिस्तान से यह भी कहा गया कि गठित होने वाले आयोग में वह अपनी–अपनी पसंद का एक–एक सदस्य चुने। जबकि सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष ने अमेरिका को तीसरे सदस्य के रूप में स्वयं मनोनीत कर दिया। इस प्रकार भारत ने तो सदस्य के रूप में चेकोस्लोवाकिया का चयन किया जबकि पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को चुना। कुछ समय उपरान्त 21 अप्रैल, 1948 को सुरक्षा परिषद् ने फिर से इस विषय से सम्बन्धित एक अन्य प्रस्ताव और पारित किया जिसमें आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पाँच कर दी गई और इस आयोग का नाम यू0एन0सी0आई0पी0 (भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग) रखा गया। इस आयोग में पांच सदस्यों के रूप में सुरक्षा परिषद् द्वारा नामांकित अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम के अलावा भारत द्वारा नामांकित चेकोस्लोवाकिया व पाकिस्तान द्वारा नामांकित अर्जेंटीना को शामिल कर लिया गया।[6] इस प्रकार जल्दी ही इस गठित आयोग ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी।

इस प्रकार सुरक्षा परिषद् ने 3 जून, 1948 को फिर से एक अन्य प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 17 जनवरी, 20 जनवरी तथा 21 अप्रैल 1948 में कही गई बातों को फिर से दोहराया गया। सुरक्षा परिषद् द्वारा गठित आयोग जो यू0एन0सी0आई0पी0 के नाम से जाना जाता है उसने 8 व 9 जुलाई 1948 को करांची व नई दिल्ली का दौरा किया। सर्वप्रथम यह आयोग आगामी कार्यवाही हेतु करांची गया और जब इन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू की तो वहाँ पर विदेश मन्त्री मोहम्मद जफरुल्ला खाँ ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तान थल सेना की तीन ब्रिगेड जिसमें लगभग (9000 सैनिक) थे, मई 1948 में कश्मीर में हुए युद्ध में सक्रिय थी। इस बात पर आयोग के चेकोस्लोवाकिया सदस्य जोसैफ कॉरबैल ने पाकिस्तान की स्वीकृति पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया (क्योंकि सुरक्षा परिषद् की 15 जनवरी, 1948 की बैठक में पाकिस्तान ने यह कहा था कि कश्मीर में स्थानीय लोगों ने भारतीय अधिपत्य के खिलाफ विद्रोह किया है)।[7] इसके उपरान्त पाकिस्तान में अपनी कार्यवाही पूर्ण कर जब यह आयोग दिल्ली आया तो वहां पर भारत के प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट तौर से इस आयोग के समक्ष कह दिया कि पाकिस्तान ने ही पहले कश्मीर पर आक्रमण किया था अतः उसका ही पहला यह दायित्व बनता था कि कश्मीर रियासत से वह पाकिस्तानी सैनिकों व नागरिकों को अपने देश वापिस बुलाए। साथ ही इस घिनौने कार्य के लिए पाकिस्तानी सरकार की निन्दा भी की जानी चाहिए, जो उन्होंने कश्मीर रियासत के प्रति अपनाई थी वह कितनी घिनौनी व कपटपूर्ण थी।

इस प्रकार इस आयोग द्वारा दोनों देशों की जमीनी स्तर पर जांच करने के उपरान्त इन्होंने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा परिषद् को सौंप दी। कुछ समय उपरान्त इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के पश्चात् सुरक्षा परिषद ने 13 अगस्त, 1948 को एक अन्य प्रस्ताव पारित किया जो कि कश्मीर विवाद के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना जाता है।

इस प्रस्ताव के मुख्य भाग हैः– भाग–एक, इस भाग में दोनों देशों को युद्ध विराम करने का आदेश दिया गया तथा दोनों देश अपनी–अपनी सेनाओं की वृद्धि करने से भी परहेज करेंगे। साथ ही आयोग द्वारा यह भी कहा गया कि युद्ध विराम आदेश के पालन का पर्यवेक्षण करने के लिए एक सैनिक पर्यवेक्षक भी आयोग नियुक्त करेगा। भाग–दो, में उल्लिखित संघर्ष तत्काल रोक देने के प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के पश्चात दोनों राष्ट्रों की सरकारें युद्ध विराम समझौता लागू करने के आधार स्वरूप कुछ सिद्धान्त पारित करेगी जिनका निर्धारण उनके प्रतिनिधि और आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा।[8]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित आयोग ने फिर से 5 जनवरी, 1949 को एक और प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को भी काफी महत्वपूर्ण माना गया था। इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले भारत सरकार ने 23 दिसम्बर, 1948 को तथा पाकिस्तान सरकार ने 25 दिसम्बर, 1948 को आयोग के 13 अगस्त 1948 के प्रस्ताव के पूरक निर्धारित सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। 5 जनवरी, 1949 के प्रस्ताव के प्रावधान इस प्रकार हैं–

- जम्मू कश्मीर राज्य के विलय का निर्णय स्पष्ट और निश्पक्ष जनमत संग्रह द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाएगा।
- जनमत संग्रह तभी किया जाएगा, जब आयोग यह अनुभव करेगा कि युद्ध विराम और शान्ति समझौते की शर्त दोनों राष्ट्रों द्वारा मान ली गई हो और जनमत संग्रह की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई हो।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव आयोग की सहमति से एक जनमत संग्रह अधिकारी मनोनीत करेगा परन्तु इसकी औपचारिक नियुक्ति जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ही करेगी।
- जनमत संग्रह प्रशासक स्वतंत्र और निश्पक्ष जनमत संग्रह करने के लिए सभी शक्तियाँ और अधिकार जम्मू–कश्मीर सरकार से प्राप्त करेगा।
- साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जनमत संग्रह में भाग लेने वाले लोगों को धमकाने, उन पर दबाव डालने और उन्हें घूस देने जैसी बातें नहीं होने दी जाए।
- राज्य में वैध राजनीतिक गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिसमें प्रैस की स्वतन्त्रता, भाषण देने और इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता तथा राज्य में स्वतन्त्र रूप से आने जाने की व्यवस्था शामिल होगी।
- राज्य के सभी राजनीतिक बन्दी रिहा किये जाएँगें तथा राज्य के सभी हिस्सों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी।[9]

इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 से लेकर अब तक भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जम्मू–कश्मीर को लेकर चले आ रहे गतिरोध को रोकने का कार्य सर्वप्रथम युद्ध विराम रेखा सुनिश्चित

करने के आधार पर करवाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 29 जुलाई, 1949 को दोनों देशों के मध्य एक युद्ध विराम रेखा का निर्धारण किया जो कि कश्मीर राज्य के दक्षिण में जम्मू सियालकोट सैक्टर से लेकर उत्तर में शिनच्यांग तक थी, उसको अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित कर दिया गया।[10] लेकिन कुछ समय उपरान्त 1968 में इस सीमा से जुड़ा कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। इस रेखा का निर्धारण सेक्टर वार किया गया था तथा साथ ही पहाड़ियों के नाम और ऊँचाई भी स्पष्ट कर दी गई थी। इस युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर भारत तथा पाकिस्तान के सैन्य कमाडरों सहित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त सैन्य पर्यवेक्षक दल ने किये थे। इसके बाद भी युद्ध की स्थिति ऐसे ही निरन्तर चलती रही। अब पाकिस्तान के आक्रामक इरादों के कारण कश्मीर में काफी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी थी। 22 दिसम्बर, 1949 को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ए0जी0एल0 मैकनॉटन ने कश्मीर समस्या जैसी गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे सुलझाने हेतु एक योजना रखी जिसे ''मैकनॉटन योजना'' भी कहा जाता है।[11] इस योजना में पाकिस्तान को आक्रान्त घोषित नहीं किया गया अर्थात् भारत तथा पाकिस्तान दोनों को एक श्रेणी में रखा गया। इस योजना में भारत तथा पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों से कहा गया कि वे अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा ले। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का विसैन्यकरण करके जनमत संग्रह की बात भी कही गई थी। लेकिन भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद सुरक्षा परिषद ने 24 फरवरी, 1950 को एक प्रस्ताव पास किया जिसके आधार पर आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ओवन डिक्सन को 12 अप्रैल, 1950 को संयुक्त राष्ट्र सैन्य निरीक्षण आयोग भारत व पाक (यू0एन0एम0ओ0जी0आई0पी0) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओवन डिक्सन ने अपना कार्य भारत में मई सन् 1950 से आरंभ किया।[12] उसने भी सर्वप्रथम दोनों राष्ट्रों की सरकारों से कश्मीर रियासत से सेना हटाने के लिए बहुत आग्रह किया लेकिन इस आग्रह का कोई हल नहीं निकल सका। अतः कुछ समय उपरान्त डिक्सन ने स्वयं बाद में यह स्वीकार कर लिया कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा सेना भेजना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लघन था लेकिन फिर भी उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों को एक ही स्तर पर रखा। इसलिए भारत ने उसके सुझाव को स्वीकृति नहीं दी। इस तरह कुछ समय उपरान्त डिक्सन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

अब किसी भी तरह कश्मीर समस्या का समाधान न होने पर सुरक्षा परिषद् ने 24 फरवरी, 1951 को फिर से एक अन्य प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने अपने पूर्व के प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र और निश्पक्ष जनमत संग्रह के उपाय से हटकर राज्य के विलय के संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव पारित करती है, तो इसे सुरक्षा परिषद के जनमत संग्रह के सिद्धान्त के आधार पर लिया गया निर्णय नहीं माना जाएगा। कुछ समय उपरान्त सर ओवन डिक्सन के स्थान पर 30 अप्रैल 1951 को सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के नागरिक डॉ0 सर फ्रेंक ग्राहम को (यू0एन0एम0ओ0जी0आई0पी0) अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।[13] दूसरी तरफ कश्मीर के युवराज कर्ण सिंह ने भी यह घोशणा कर दी कि अब वयस्क मताधिकार के आधार पर कश्मीर रियासत में एक संविधान सभा चुनी जाएगी और वही कश्मीर का नया संविधान भी तैयार करेगी। इस तरह 4 मई, 1951 को पाकिस्तान ने कश्मीर सरकार के इस निर्णय के विरूद्ध सुरक्षा परिषद में शिकायत कर दी। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने पाकिस्तान के द्वारा सुरक्षा परिषद के समक्ष की गई शिकायत

की परवाह न करते हुए अपना संविधान निर्माण हेतु कार्य अक्तूबर 1951 से आरंभ कर दिया तथा साथ ही इस संविधान सभा ने जून 1952 में यह घोषणा की कि अब कश्मीर राज्य में राजतंत्र को समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा जिसे सदर–ए–रियासत कहा जाएगा। इस प्रकार 20 अगस्त 1952 को महाराजा हरिसिंह के समय में गठित हुई स्थानीय संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर रियासत में राजशाही का अन्त कर सदर–ए–रियासत का पद सृजित कर दिया।[14] दूसरी तरफ इस बीच डॉ0 ग्राहम ने भी कश्मीर समस्या के निपटारे के लिए अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। वह सर्वप्रथम 30 जून, 1951 को भारत आये और उसके बाद पाकिस्तान में गये। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों की सरकारों से बातचीत कर बड़ी सावधानी से अपनी योजना प्रस्तुत की। यह योजना इस प्रकार है–

- जनमत संग्रह को पूर्ण रूप से करने के लिए युद्ध विराम रेखा के एक तरफ पाकिस्तान के 6000 तथा भारत के 8000 सैनिक रखे जाये और शेष सेना को वहाँ से हटा लिया जाए।
- कश्मीर राज्य में लोकमत संग्रह अधिकारी की नियुक्ति भी की जाए।

इस बीच सुरक्षा परिषद् ने 10 नवम्बर, 1951 में अपने एक अन्य प्रस्ताव में जिक्र किया कि 7 सितम्बर, 1951 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को भेजे गए संदेश में कश्मीर से सेना की वापसी की योजना के विचारों का भी जिक्र किया था। साथ ही आयोग द्वारा प्रस्ताव में यह भी नोट किया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने शान्तिपूर्वक उपाय से इस समस्या के समाधान पर अपनी सहमति प्रकट कर दी थी तथा युद्ध विराम समझौते की पालना का भी विश्वास दिया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष जनमत संग्रह द्वारा कश्मीर राज्य के भविष्य का निर्धारण किया जाएगा। कुछ समय पश्चात सुरक्षा परिषद ने 23 दिसम्बर, 1952 को फिर से पारित एक अन्य प्रस्ताव में यह कहा कि, अभी तक विसैन्यकरण की योजना पर भारत तथा पाकिस्तान सरकारों के मध्य समझौता नहीं हो सका। वही दूसरी तरफ इस बीच कश्मीर की संविधान सभा ने 1954 में भारत में कश्मीर राज्य के विलय का अनुमोदन कर दिया व साथ ही 1956 में गठित संविधान सभा ने कश्मीर के लिए नया संविधान तैयार कर 26 जनवरी, 1957 को इसे लागू कर दिया। इस प्रकार भारत सरकार ने तो इस संविधान को स्वीकार कर लिया और कहा कि जब कश्मीर की जनता ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया है तो अब जनमत संग्रह जैसे सिद्वांत की आवश्यकता ही खत्म हो गई। इसके विपरीत इस कार्यवाही पर पाकिस्तान ने 2 जनवरी, 1957 को फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक शिकायत भेजी तथा भारत द्वारा कश्मीर के संविधान को स्वीकृति देना अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघंन बताया तथा साथ ही यह भी मांग की गई कि, इस भयंकर स्थिति में सुरक्षा परिषद् ही इस समस्या को सुलझाए। इस प्रकार कश्मीर समस्या का मामला सुरक्षा परिषद के समक्ष 16 जनवरी, 1957 को फिर से आ गया। इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, क्यूबा और आस्ट्रेलिया आदि देशों ने मिलकर आयोग के समक्ष एक सम्मलित प्रस्ताव रखा और साथ ही कहा कि सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष अब गुनार जारिंग (स्वीडन) को बनाया जाए और नियुक्त होते ही यह अध्यक्ष भारत तथा पाकिस्तान जाकर वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करे तथा साथ ही उन्होंने प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान तथा भारत दोनों ही देश कश्मीर से हटे और जनमत संग्रह कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संकट

कालीन सेना कश्मीर में नियुक्त कर दी जाए।[15] लेकिन यह प्रस्ताव पहले सेना भेजने के निर्णय पर स्वीकार नहीं हो सका। इस तरह कुछ समय उपरान्त 21 फरवरी, 1957 को दूसरा प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन तब तक गुनार जारिंग ने इस समस्या से सम्बन्धित अपना दौरा कर रिपोर्ट भी तैयार कर ली। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि इस समस्या को सुलझाना बहुत कठिन कार्य था। अतः इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त यह मिशन भी फेल हो गया।

दोबारा से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 दिसम्बर, 1957 को एक अन्य प्रस्ताव पास किया और सर फ्रेंक ग्राहम को दोबारा से भारत और पाकिस्तान में जाकर वहाँ कि स्थिति का आंकलन कर कश्मीर के बारे सुझाव देने को कहा। 22 अप्रैल, 1962 को पाकिस्तान के विदेश मन्त्री जफरुल्ला खाँ ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि के रूप में कश्मीर समस्या सम्बन्धित प्रश्न को सुरक्षा परिषद में फिर से उठाया और सुरक्षा परिषद 22 अप्रैल से 28 जून, 1962 तक इस विषय पर कुछ हद तक गम्भीर विचार भी करती रही, परन्तु फिर भी कोई हल नहीं निकल सका।[16] इसी बीच 29 जून, 1962 को आयरलैंण्ड ने अमेरिका के दबाव से बाध्य होकर सुरक्षा परिषद में एक और अन्य प्रस्ताव रखा जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि अब पाकिस्तान और भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ 13 अगस्त, 1947 के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर राज्य में जनमत संग्रह की स्वय व्यवस्था करे तथा साथ ही ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कश्मीर रियासत की शान्ति भंग होने का खतरा उत्पन्न हो। लेकिन भारत के प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन (विदेश मन्त्री) ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने तो 13 अगस्त, 1948 के प्रस्ताव का तनिक भी पालन नहीं किया इसलिए भारत आयोग के इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नही होगा। इस प्रकार भारत ने आयरलैंण्ड का यह प्रस्ताव रूस द्वारा अपने निशेधाधिकार (वीटो पावर) द्वारा प्रयोग करवा कर इसे रद्द करवा दिया।[17] इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोनों देशों के मध्य उत्पन्न इस विवादित विषय कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसको कि यू.एन.सी.आई.पी (यूनाईटिड नेशनस कमीशन इण्डिया–पाकिस्तान) के नाम से जाना गया। इस कमीशन ने भारत तथा पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के मध्य विवाद को कुछ हद तक निपटाने के लिए सीमा रेखा समझौता करवाया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1950 में एक अन्य प्रस्ताव न0 91 पारित किया गया जिसमें अब कश्मीर में दोनों राष्ट्रों की सेना में कटौती कर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना नियुक्त करनी थी। इसलिए संघ ने इस आयोग का नाम यू.एन.सी.आई.पी (यूनाईटिड नेशनल कमीशन इण्डिया–पाकिस्तान) का नाम बदल कर यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी. (यूनाईटिड नेशनल मिलिट्री ओबजरवेशन ग्रुप इण्डिया–पाकिस्तान) रख दिया।[18]

इस आयोग ने कश्मीर ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की नियुक्ति के साथ–साथ 1965 के भारत तथा पाकिस्तान के युद्ध में भी अपनी अहम् भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में आयोग द्वारा नियुक्त सैनिक पर्यवेक्षक जनरल निमो ने इस युद्ध का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने सारी जिम्मेवारी पाकिस्तान राष्ट्र की ही ठहराई और साथ ही यह भी बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा ही अगस्त 1965 में भी युद्ध विराम रेखा को पार कर भारतीय ठिकानों पर गोला बारी की गई थी और इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस प्रकार इस युद्ध के शुरू होते ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20

सितम्बर, 1965 को एक बैठक की तथा इस बैठक में नीदरलैंण्ड द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को दस मतों से पारित कर दिया साथ ही इस प्रस्ताव में पाकिस्तान व भारत दोनों सरकारों से अपील भी की गई कि वे युद्ध विराम करने का आदेश जारी करे और बाद में उन सारे सैनिकों को वही पर नियुक्त कर दे जहाँ वे 5 अगस्त 1965 से पहले नियुक्त थे। सुरक्षा परिषद ने महासचिव उथांट को कहा कि वह युद्ध विराम स्थिति की निगरानी तथा सेनाओं की वापसी की समुचित व्यवस्था भी करें। साथ ही सुरक्षा परिषद् ने इस बात पर भी विचार करने का निश्चय किया कि वर्तमान संघर्ष में छुपी हुई कश्मीर की मूल समस्या को सुलझाने के लिए युद्ध विराम के बाद क्या आवश्यक कदम उठाये जाएँगे, जिससे की इस गंभीर मुददे का निपटारा हो सके। इस प्रकार कुछ समय उपरान्त भारत व पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव को मान लिया गया और 23 सितम्बर, 1965 को प्रातःकाल 3.30 बजे दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई।[19]

इस प्रकार 1965 के युद्व के साथ–साथ सन 1971 में भी भारत पाकिस्तान के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित आयोग (यू0एन0एम0ओ0जी0आई0पी0) ने अपना अहम् स्थान निभाया। इस आयोग ने 21 दिसम्बर, 1971 को एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत तथा पाकिस्तान 1949 के युद्ध–विराम समझौते के आधार पर जहाँ भी दोनों देशों की सीमाएँ मिलती हैं वह समझौता मान्य होगा इसलिए युद्ध विराम कर दिया जाए। 1972 में जब शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ तो इस समझौते के आधार पर आयोग द्वारा 1948 में पारित युद्ध विराम रेखा का समझौता अब नियन्त्रण रेखा के रूप में बदल गया अर्थात् दोनों देशों के बीच जो सीमा पहले युद्ध विराम रेखा के नाम से जानी जाती थी अब वह भविष्य में नियंत्रण रेखा के नाम से जानी गई।[20] इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि संघ द्वारा गठित (यू0एन0एम0ओ0जी0आई0पी0) आयोग का कार्यकाल भी शिमला समझौता होने पर समाप्त समझा जाएगा। बैनजीर भुट्टो और जिया उल हक भी क्रमशः सन् 1977–1979 में इस बात पर अड़े रहे कि कश्मीर मुददे को फिर से इतिहास की प्रक्रियाओं से पलटकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र की पुनः स्थापना के साथ सुलझाया जाए। कुछ समय उपरान्त 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के आगाशाही (विदेश मन्त्री) ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रवैये पर अड़िग रहते हुए संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वह भारत सरकार को निर्देश दे कि वह अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों के कश्मीर राज्य में शैक्षिणक स्थानों की स्वायत्ता सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए।[21] 2 अक्तूबर, 1981 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में भाषण देते हुए विदेश मंत्री आगाशाही ने कश्मीर समस्या को एक मात्र उल्लेखनीय विवाद बताया और साथ ही यह भी कहा कि शिमला समझौते के जोश और संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के आधार पर ही इसे सुलझाया जा सकता था। 24 फरवरी, 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार आयोग के सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के प्रमुख आगा हिलाली ने भी कश्मीर अल्पसंख्यकों के साथ हुए व्यवहार आदि मुद्दों पर एक कटु प्रहार किया। लेकिन इसके जवाब में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य बी0आर0 भगत ने भी बदले में उतना ही कड़ा जवाब दिया।[22] इसी तरह 1985 में न्यूयार्क में भी संयुक्त राष्ट्र सभा के 40वें सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिया–उल–हक ने अपने–अपने विचार कश्मीर मुद्दे पर रखे।[23] 1996 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल तथा पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमन्त्री

नवाज शरीफ मिले। इन्होंने भी कश्मीर समस्या को सुलझाने हेतु अपने–अपने विचार प्रकट किए लेकिन फिर भी कोई स्थाई समाधान न निकल सका।

1999 में कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस मसले को उठाया। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तानी दाँव भारतीय प्रतिरोध के कारण असफल रहा क्योंकि भारत ने वे सभी दस्तावेज संघ के सम्मुख पेश कर दिए जिनके आधार पर पाकिस्तान ने 1972 में हुए शिमला समझौते में नियन्त्रण रेखा के निर्णय को त्यागकर भारत की सीमा में 1999 में कारगिल में फिर से हमला कर दिया। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि 1947 से लेकर 2000 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मुद्दा अन्य मुद्दों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील बनकर आज भी चला आ रहा है और आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

कश्मीर समस्या और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का जहां तक सम्बन्ध है 1947 से 1999 तक बड़े ही गहराई से विश्लेषण किया है और यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि कश्मीर समस्या शुरु कैसे हुई और इसको किस तरह से दो राष्ट्रों से अलग कर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कि विश्व में शान्ति के प्रतीक के रूप में अहम् माना गया है, इसको देखते हुए जब जवाहर लाल नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सुलझाने के लिए रखा तो यह लगता था कि जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे का निपटारा कर देगा और कश्मीर रियासत सम्बन्धी जो अड़चन भारत के समक्ष आई उसका जल्दी ही समाधान हो जायेगा। लेकिन ऐसा सम्भव नही हो सका। एक अन्य तथ्य यह निकल कर सामने आया कि यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संघ को आजाद करने के मुद्दे से भी ज्यादा गंभीर और काफी भयंकर सा नजर आने लगा। कम से कम ब्रिटिश शासन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन कर आखिर में भारतीय संघ को भारत तथा पाकिस्तान के रूप में आजाद तो कर दिया लेकिन उनके द्वारा यह कश्मीर रियासत संबंधी समस्या पैदा कर दी गई जिसका समाधान किसी भी आधार पर लगता नहीं कि भविष्य में सुलझ जाए। इस समस्या पर भारत का पक्ष कुछ कहता है तो पाकिस्तान कुछ और ही विचार प्रकट करता है। कहीं पर यह समस्या राजनीति की मार में महसूस होती है। काफी शोध–साम्रगी का अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसे तर्क निकाले जा सकते हैं जो अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर इस रियासत के लिए ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर दी गई थी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अंग्रेजों की यह कूटनीतिक–चाल थी कि भारत जैसा महाद्वीप देश अगर शक्तिशाली रहेगा तो विश्व की राजनीति में अहम् योगदान के साथ–साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा जो सम्भवतः पश्चिमी राष्ट्रों को कहीं न कहीं पर चुनौती प्रदान करेगा। पाश्चात्य–देशों ने अपने उपनिवेशों में इस तरह की स्थिति पैदा की जो स्वतन्त्रता के बाद अनेकों समस्याओं से आज भी जूझ रही है। भारत–पाकिस्तान के बनने के समय जो साम्प्रदायिक दंगे हुये जिनमें लाखों बुजुर्गों, युवकों, महिलाओं, बच्चों सहित व्यापक रूप से जान–माल का भारी नुकसान हुआ। देश की आजादी की खुशी, खुशी न रहकर ऐसी गंभीर समस्या पैदा हुई जिसमें भारत अपना अपार–धन, जन स्त्रोतों की आज भी कुर्बानी दे रहा है। सभी उपनिवेशों में अनेक नये राष्ट्रों का उदय हुआ लेकिन जो भारत के साथ हुआ, ऐसा कहीं भी और किसी भी राष्ट्र के साथ नहीं हुआ और न ही भविष्य में ऐसा होने की कहीं भी सम्भावना होगी।

सन्दर्भ

1. गुरूराज, एच0एस0राव. 'लीगल आस्पैक्ट आफॅ दा कश्मीर प्रोब्लम'. पृष्ठ **195.**
2. सिंह, रामपाल. 'भारत–पाक विभाजन एंव कश्मीर युद्व'. पृष्ठ **97.**
3. वही. पृष्ठ **98.**
4. सिंह, रामपाल. 'भारत पाक सम्बन्ध–1965 युद्व'. पृष्ठ **35.**
5. कारबैल, जोसेफ. 'डैन्जर इन कश्मीर'. पृष्ठ **121.**
6. सिंह, रामपाल. 'भारत पाक सम्बन्ध–1965 युद्व'. पृष्ठ **101.**
7. वही. पृष्ठ **102.**
8. एस0सी0ओ0ए0आर0. 4 स्पैशल सप्लाई. एन0 7 एनैक्स 26. पृष्ठ **126–129.**
9. वही. पृष्ठ **1507.**
10. गुप्ता, ज्योति भूषणदास. 'जम्मू एण्ड कश्मीर'. पृष्ठ **167.**
11. अग्निहोत्री, डॉ. कुलदीप चन्द. 'जम्मू कश्मीर के जननायकः महाराजा हरि सिंह'. पृष्ठ **206.**
12. सिंह, रामपाल. 'भारत पाक सम्बन्ध–1965 युद्व'. पृष्ठ **43.**
13. वही. पृष्ठ 45.
14. वही. पृष्ठ 46.
15. यू0एन0एम0ओ0जी0आई0पी0. (2016). मैग्जीन. पृष्ठ **4.**
16. सिंह, रामपाल. 'भारत पाक सम्बन्ध एवं युद्ध–1965'. पृष्ठ **51–54.**
17. दीक्षित, जे0 एन0. 'भारत पाक सम्बन्ध'. पृष्ठ **256–257.**
18. वही. पृष्ठ **273.**
19. वही.
20. वही. पृष्ठ **279–280.**
21. दीक्षित, जे0एन0. 'भारत पाक सम्बन्ध'. पृष्ठ **287.**